निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 50 / 2025
दायरा दिनांकः—18.06.2025
निर्णय दिनांकः— 4.11.25

उनवान

1. रामनाथ आयु 80 साल पुत्र रघुनाथ जाति मेघवाल निवासी ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः—4.11.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री रामनिवास वैष्णाव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकार की आराजी खाता सं० 382 ख0नं0103 रकबा 2.0108, ख0नं0828 रकबा 0.0253, ख0नं0 831 रकबा 0.0379 कुल खसरे 3 रकबा कुल 2.0740 हैक्टेयर वाके ग्राम कडैयानोहर एवं खाता सं0 381 के ख0नं0861 रकबा 1.3152 हैक्टयर एवं खाता सं० 184 को ख०न० 493 रकबा 0.1391 हैक्टयर वाके माल कडैयानोहर तहसील छबडा जिला बांरा राज० मे स्थित है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी के पिता का नाम एवं जाति उपरोक्त वर्णित आराजी मे राजस्व विभाग के कर्मचारियो की गफलत एवं लापरवाही के कारण राजस्व रेकार्ड मे पिता का नाम रूघनाथ के स्थान पर भैरिया एवं खाता सं० 184 मे भैरू दर्ज हो चुका है एवं जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज होना चाहिये। उपरोक्त राजस्व रेकार्ड मे नाम दुरूस्त कर पिता का नाम भैरिया एवं भैरू हटाकर सही राम रूघनाथ दर्ज होना चाहिये एवं जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज होना चाहिये । उपरोक्त आराजीयात मे पिता का नाम एवं जाति गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को बहुत परेशानीयो का सामना करना पड रहा है जैसे कि के.सी.सी. ऋण लेने मे एवं मुआवजा प्राप्त करने एवं सहकारी इत्यादि प्राप्त करने में कठिनाईयो का सामना करना पड रहा हैं। इसीलिए प्रार्थी के पिता का सही नाम रूघनाथ दर्ज होना न्याय हित मे अति आवश्यक हैं एवं जाति भी चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज होना नितान्त

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...यक है। इस बाबत प्रार्थी ने अपने मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशनकार्ड ...बैंक पास बुक आदि दस्तावेंज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से रिपोर्ट/जवाब प्राप्त हुई प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 382 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 381 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 184 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 384 नकल जाति प्रमाण पत्र दिनांक 19.04.2022 फोटो प्रति आधार कार्ड पहचान पत्र परिवार राशन कार्ड बैंक पास बुक पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी ग्राम कडैयाबन तहसील छबडा में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम व जाति सहवन से गलत दर्ज हो गई है प्रार्थी के पिता नाम रघुनाथ के स्थान पर भेरिया व भैरू दर्ज हो गया है तथा जाति मेघवाल के स्थान पर चमार दर्ज हो गई है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम रघुनाथ व जाति मेघवाल है प्रार्थी अपने पिता का नाम व जाति दुरूस्त कराने का अधिकारी है प्रार्थी के पिता का सही नाम व जाति खाता संख्या 384 में सही है परन्तु खाता संख्या 382,381,184 में प्रार्थी का नाम व जाति गलत दर्ज हो गई है जिसके कारण प्रार्थी का काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम रघुनाथ व जाति मेघवाल सही दर्ज है प्रार्थी पिता का सही नाम व जाति दर्ज कराने का अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी के पिता अपने पिता का नाम ग्राम कडैयानोहर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2079 से स्थायी के खाता संख्या 381,382 व 184 में दर्ज भेरिया व भैरू के स्थान पर रूघनाथ करवाना चाहता है। तथा जाति चमार के स्थान पर मेघवाल कराना चाहता है ग्राम वासियों से पुछने पर बताया कि भेरिया व रूघनाथ सगे भाई थें तथा रूघनाथ के कोई वारिसान नही थें इस कारण रामनाथ को रूघनाथ द्वारा गोद लिया गया था रामनाथ के वास्तविक पिता का नाम भेरिया बताया गया इस प्रकार रामनाथ के पास भेरिया व रूघनाथ दोनो से भूमि प्राप्त हुई है भेरिया व रूघनाथ दो अलग–अलग व्यक्ति के होना बताया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 382,381,184 में रामनाथ पुत्र भेरिया/भैरू दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 384 में रामनाथ पुत्र रूघनाथ जाति मेघवाल दर्ज है जाति प्रमाण पत्र में रामनाथ पुत्र रघुनाथ दर्ज है आधार कर्ड, पहचान पत्र,

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

र राशन कार्ड, बैंक पास बुक में रामनाथ पुत्र रघुनाथ दर्ज है तहसीलदार छबडा की र्ट के अनुसार रघुनाथ व भेरिया/भैरू दो अलग –अलग व्यक्ति होना बताया है घुनाथ व भेरिया दोनो सगे भाई है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम भेरिया/भेरू ही है इसलिए प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त किया जाना उचित नही है परन्तु अशोभनिय शब्द चमार के स्थान पर जामि मेघवाल किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आशिंक स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा के खाता संख्या 381,184 में दर्ज जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)